

# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018 Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur - 302018

Website: www.rsmssb.rajasthan.gov.in

Tel.: 0141-2722520

क्रमांक:-प.3(26)RSSB / रटोर / Electric-Carpenter-Sanitary / 2024-25 / 107

दिनांक:- 25 03 2025

## खुली निविदा सूचना (2024-25/43)

बोर्ड कार्यालय में विद्युत/कारपेन्टर/सैनेट्री/की वार्षिक मरम्मत/रखरखाव के लिए (दर संविदा) पर अनुबंध किये जाने हेतु वार्षिक अनुमानित लागत राशि रू. 09.00 लाख तक निविदा की शर्तो एवं स्पेशिफिकेशन के अनुसार फर्म/निर्माताओं/सप्लायर्स/प्राधिकृत व्यवहारियों/प्राधिकृत सेवा केन्द्रों / सेवा प्रदाताओं / सद्भाविक व्यापारियों से निर्धारित प्रपत्र पर सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इस सामग्री की निविदा डाउनलोड, निविदा खोलने की तिथि, निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने की तिथि एवं निविदा की शर्ते इत्यादि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http:sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है तथा निविदा प्रपत्र वेबसाईट से निर्धारित अवधि में डाउनलोड किये जा सकते हैं।

(डॉ. बी.सी. बधाल)

सचिव

क्रमांक:-प.3(03)RSSB / स्टोर / Electric-Carpenter-Sanitary / 2024-25 / 108-111 दिनांक:- 25 | 03 | 2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को निविदा सूचना की दस प्रतियां एवं सी. डी. में सलंग्न कर भिजवाई जा रही है इसको नियमानुसार एक क्षेत्रिय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति की प्रति के साथ सूचित करावें।

2. प्रभारी अधिकारी आई.टी. को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा प्रपत्र को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

- 3. नोडल अधिकारी, बोर्ड SPPP को भेजकर लेख है कि http:Sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर अपलोड करावें
- 4. कैशियर / प्राप्ति लिपिक / नोटिस बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपूर।

सचिव

Signature valid

Digitally signed by Phas Chand Designation'

Date: 2025.03.24 1:20:35 IST Reason: Approved

Address: State Institute of Agriculture Management premises, Durgapura, Jaipur - 302018.

RajKaj Ref No.: 13756643



Scanned with OKEN Scanner



# कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर — 302018 Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website: www.rsmssb.rajasthan.gov.in Tel.: 0141-2722520

निविदा प्रपन्न नं. :खुली निविदा सूचना (2024–25 **/५५)** निविदा की अनुमानित राशि : 09.00 लाख

निविदा प्रपत्र का मूल्य : 500 /— बोली प्रतिभृति राशि : 18,000 /— बिड़ प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि : **३५ |०३ | २०**३५ बिड़ जमा कराने की अंतिम तिथि : ०। **|०५ | २**०२५

अपरान्ह : 1.00 बजे तक

बिड़ खोलने की तिथि : 01 04 2025

अपरान्ह : 03.00 बजे

#### <u>तकनीकी निविदा</u>

Ŀ	Rectrical, Carpentry and Sanitary Items की रखरखाव / मरम्मत के लिये (दर संविदाक्री हेतु खुली निविदा सूचना
1.	विष प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम
	दूरभाष/मोबाईल नंबर एवं डाक का पता:
	A STATE OF THE STA
	बैंक खाता संस्था -
	बैंक खाता संख्या :
2.	शाखा का नाम :
3.	संदर्भ — निविदा सूचना संख्या : 2024—25/ दिनांक :
4.	बिड शुल्क की राशि 500/— (रू. पॉच सौ मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक संख्या के द्वारा
	जमा करा दी गयी है/संलग्न है।
5.	हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना 2024-25/43. दिनांक
	25/0.3/2025 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त
	शतों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित शतों को हमारे द्वारा स्वीकार किये
	जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)
6.	वित्तीय निविदा में उद्भृत की गयी दरें अनुबंध की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है। इस अविध को
	पारस्परिक सहमति के आधार पर RTPP नियम 2013 के नियमानुसार बढाया जा सकेगा।
7.	बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक संख्या जो बैंक का नाम
	गया है। रू. 18,000 / – के लिये बिड प्रतिभूति राशि के पेटे <b>सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर</b> के
	नाम देय संलग्न किया जाता है।
नि	वेदा को स्वीकार किए जाने हेतु आवश्यक शर्ते:
	• GST नियमों के अन्तर्गत पंजीयन सं एवं पेन नंबर की प्रति संलग्न
	होने चाहिये।
	<ul> <li>निविदादाता/फर्म द्वारा गत 02 वर्षों में केन्द्र अथवा राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत्त</li> </ul>
	• निवदादाता / फर्म द्वारा गत 02 वर्षा में कन्द्र अथवा राज्य के राजकाय विमाग / उपप्रेम / स्वारा संस्थाएं /परियोजनाएं / बोर्ड / समिति / आयोग / शिक्षण संस्था / बैंकों में कम से कम दो वर्ष का Electrical,
	Carpentry and Sanitary Items की रखरखाव/मरम्मत अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इनमें किसी
	एक वर्ष में इस कार्य का 4.50 लाख का अनुभव प्रमाण-पत्र होना चाहिए। (अनुभव प्रमाण अथवा कार्यादेश
	की स्थिति कार्य पूर्णता पत्र छायाप्रति संलग्न करें।)
	् — 👫 ने क्यें का दर्व भोवर जो कि प्रतिवर्ष 4.50 लाख से कम न हो। की छायापति दर्न ओवर के
	प्रमाण स्वरूप आयकर रिर्टन की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करे।
	बिंड शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी., कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, टर्न ओवर के प्रमाण स्वरूप आयकर
	• बिंड शुल्क, बाला प्रातमात सारा का डा.डा., पगर जाउनम् प्रमान नम, उन जानर पर प्रमान स्वरंग जायगर रिर्टन की स्व—प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं होने पर बिंड पर विचार नहीं किया जायगा।
	• निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा संबंधित सभी परिशिष्ट व दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
	• निविदा प्रपत्र भरी हुआ तथा सवाधत सभा पाराराच्य प परतापण रचन क्षारा प्रभागत तथा पाराराच्या
	• बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत
	करने / शर्त को अमान्य करने का अधिकार बोर्ड का होगा। Signature yalid
	Digitally signed by Bhag Chand
	Digitally signed by bring chand 则能能则 Badhal
	Pasignation Sagre and
	Date: 2029 09.24 1 . 2 पा स्था सील
	Page 1 of 20



## राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018 Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur - 302018

Website: www.rsmssb.rajasthan.gov.in Tel.: 0141-2722520

#### निविदा के लिये निर्देश एवं संविदा शर्ते

\*\*टिप्पणी :- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से एक मुहरबंद लिफाफे में बंद करना चाहिए। तकनीकी निविदा" और वित्तीय निविदा" के अलग-अलग सीलबंद लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखकर उक्त बड़े लिफाफे को भी सीलबन्द करना होगा। तीसरे लिफाफे पर " Electrical, Carpentry and Sanitary Items की रखरखाम / मरम्मत हेतु (दर संविदा) निविदा हेतु" के लिये निविदा लिखना अनिवार्य होगा।

2. (क) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।

(ख) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रुप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रुप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

3. GST (माल एवं सेवा कर) पंजीयन:-कोई भी डीलर यदि उस राज्य में प्रचलित, जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिएं तथा GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया

जाना चाहिये। साथ ही डीलर को पेन नंबर अवश्य देने होंगे।

4. .निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

- 5. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं / या उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिये। शब्दों व अंकों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में अंकित दरों को प्रस्तावित दर माना जावेगा। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिये।
- 6. दरें गन्तव्य स्थान तक (एफ.ओ.आर.) उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी कर प्रभारों को शामिल करना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलें में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा गाडी भाड़े (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपूर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जावेगी।

7. कार्य का विवरण:--

1.1. बोर्ड भवन एवं परिसर में समस्त पाईप लाईन की मरम्मत का कार्य, बाथरूम तथा डब्ल्यू-सी की मरम्मत का कार्य, बोर्ड कार्यालय में सेनेट्री एवं ड्रेनेज व्यक्त्य को कार्य, दरवाजे / खिडकी, फर्नीचर तथा (कुर्सी टेबिल इत्यादि) कार्य, समस्त विद्युत वायरिंग की मरम्मत का कार्य, डी. Digitallyrisignedhaviphad Christind सी. पॉवर सिस्टम, एयर कूलिंग पॉवर सिस्टम व डी. जी. सैट किरी विधात सर लाईट, पंखे, रिवच सर्किट लाईटे 2X11, 3X36, इत्यावि मि: म्हे भिक्क कि 1ार्क्सन84हो**8ा** तथा Reason: Approved

Page 2 of 20

आवश्यकतानुसार पार्टस बदलना होगा। वार्षिक रखरखाव के संबंध में अपनी दरें समस्त करों सहित वित्तीय प्रपन्न में पस्तुत करें। सैनेट्री / कारपेन्टर / विद्युत रखरखाव संबंधित करवाये जाने वाले कार्य का अवलोकन अद्योहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क कर कार्यालय समय पर कर सकते है।

1.2. मरम्मत / संधारण हेतु अस्थाई / स्थाई प्रकृति की वांछित सामग्री सेवादाता को बोर्ड द्वारा उपलब्ध

कराई जाएगी।

1.3. नियमित रूप से सैनेट्री / कारपेन्टर / विद्युत से संबंधित समस्त कार्य की देखभाल करनी होगी तथा नियमित रूप से समस्त सैनेट्री / कारपेन्टर / विद्युत कार्य के सही होने का प्रमाण पत्र केयर टेकर मुख्यालय एवं संबंधित शाखा प्रभारी से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1.4. बोर्ड कार्यालय में आवश्यकता पडने पर विभाग द्वारा बुलाये जाने (दुरभाष / पत्र द्वारा) पर अविलम्ब उपस्थित होकर अधिकतम ४ घंटे में शिकायत का निराकरण करेगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपसे (अनुबन्धकर्ता फर्म से) प्रतिदिन के हिसाब से रूपये

200 / - (अक्षरे रूपये दौ सौ मात्र) का जुर्माना वसूल किया जावेगा।

- 1.5. बिल के साथ कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र संबंधित शाखा से एवं स्टोर प्रभारी / केयर टेकर से प्राप्त कर संलग्न करना होगा। जिसके उपरान्त ही भुगतान विभाग द्वारा पूर्ण सन्तुष्टि पश्चात प्रतिमाह अवधि समाप्त होने पर बिल कोष कार्यालय से पारित होने पर नियमानुसार किया जावेगा। भुगतान करने में होने वाले व्यय की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी प्रकार की कोई अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी। नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौति की जायेगी एवं जी.एस.टी. भुगतान का प्रमाण पत्र अगले बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा, उसके अभाव में बिल कोषालय भिजवाया जाना संभव नही होगा।
- 1.6. यदि निविदादाता विर्निष्ट समय के भीतर कार्य सन्तोषजनक न कर पाये तो विभागीय अधिकारी को यह हक होगा कि वह निविदादाता को सूचना दिये बिना निविदाकार के हिसाब में और उसकी जोखिम पर कार्य करावें। निविदाकार का विफल रहने के कारण होने वाली हानि या नुकसान का उत्तरदायित्व होगा। परन्तु निविदाकार को इसके फलस्वरुप किये गये कार्य से होने वाले लाभ का अधिकार नहीं होगा। निविदाकार से ऐसी हानि या नुकसान की वसुली की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- 1.7. निविदादाता द्वारा बोर्ड कार्यालय में किये गये कार्य के पश्चात मासिक बिल आगामी 10 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 8. विधि मान्यता-निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।
- 9. अनुमोदित प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक, रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

10. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा। ऐसा किया जाने पर संबंधित निविदादाता की

निविदा / बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा सशर्त निविदाएँ / निरस्त कर दी जायेगी।

11. बोली प्रतिभूति राशि :

1. खुली प्रतियोगी बोली, द्वि-प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलैक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिये प्रस्तुत उपापन की विषय वस्त के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट कर्र प्रिष्टिस के प्राक्कित मूल्य का 2 यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.50% होगी जीता हासी है है कि उत्पाद स्वासी में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त सुविधिक्षण वार्ट के स्व लिम्बत है, यह बोली के मूल्य का 1.00 प्रतिशत होगी। राज्य सम्बन्धां आसी विशेष Sevre क्षेत्री लगान वाले Date: 2025.03.84 21:21:34 IST Reason: Approved

Page 3 of 20

प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छूट प्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा-विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।

2. बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रिजस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

3. उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिये बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

4. बोली प्रतिभूति बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या (E-Grass) के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालाविध से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये।

5. बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्रारूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।

6. यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्ट करने के लिये उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से

7. बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो ग्या है या अन्यथा उधार के लिये पात्र नहीं रहा गया है।

8. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

9. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत(Forfeited) कर दी जायेगी, अर्थात् :

- जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है:
- जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के ii. भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है:
- जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार iii. माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है:
- जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा iv. नहीं कराता है:
- यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली V. लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता

10. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रति की कि कि कि कि कि कि कि कि की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफ् वाली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देतDigitally signed by Phag Chand

11. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चित्विपीशी प्रति र के तपरता से लौटा देगी अर्थात:— Designation Secretary देगी, अर्थात्:-Date: 2025.03.24 1:21:34 IST Reason: Approved

Page 4 of 20

a. बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर,

b. सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभृति देने पर,

c. उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या

d. बोली प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम समय-सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर, जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

1. (1) करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति(Agreement and Performance Security) :-

- 1. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकंतर स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा निविदा में अंकित अनुमानित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
- 2. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

3. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिये अनुमानित राशि की 1 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समझ लंबित है, के मामले में यह प्रदाय अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत होगी।

4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:

किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिये राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी / गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित iii. करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्ते बोली प्रतिभूति के लिये नियम 42 में

वर्णित के समान होंगी।

किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुये बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

- (3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :-
  - a. जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
  - b. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

जायेंगे।

Badhăl Designation Secretary

Date: 2025.03.24 Reason: Approved 1:21:34 IST

Page 5 of 20

2. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिये अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिये।

3. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी

किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

4. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये, किसी भी निविदा को रदद करने या जिन वस्तुओं के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

5. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:--

1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरंशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

- 2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
- 3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर।

4. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

6. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिये एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

7. इस कार्य से संबंधित सफल निविदाकार को गोपनीयता बनाये रखनी होगी।

- 8. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
- 9. बिड़ संबंधित किसी भी निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं द्वितीय अपील प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को की जा सकेगी।
- 10. निविदा की शर्तों एवं RTTP Act 2012 एवं Rules 2013 में कही विरोधाभास की स्थिति होने पर RTPP Act 2012 एवं Rules 2013 ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।
- 11. संलग्नक 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' एवं फॉर्मेट बी इस निविदा का भाग होगा। संलग्नक 'बी' के अनुसार निविदादाता द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर मय सील करने होंगे।
- 12. मैनें सभी शर्तों को अध्ययन कर लिया है एवं स्वीकार्य है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत हूँ/है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील मोबाईल नम्बर:— पत्र व्यवहार का पता:—

Signature yalid

Digitally signed by Bhay Chand Badhal Designation Secretary Date: 2025.03.24 11:21:34 IST Reason: Approved

Page 6 of 20

RajKaj Ref No.: 13756723

Scanned with OKEN Scanner

### Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, bid rigging or anticompetitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

#### Conflict of Interest

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including buy not limited to:
  - a. have controlling partners/shareholders in common; or
  - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
  - c. have the same legal representative for purposes of the Bid;
  - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Signature y subject of the Bid; or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hire Digitally psigned by Phagrethand the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant 19 the consultant 19 the consultan rac/

1:21:34 IST

Reason: Approved

Page 7 of 20

# Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

### Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to	for procurem	ent of
In response to their Notice Inviting Bids No	Dated	I/we hereby declare
under Section 7 of Rajasthan Transparency in public		

- I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- 3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
- 4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within
- 5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act. Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:


Signature yalid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal

Date: 2025.03.24 21:21:34 IST

Reason: Approved

Page 8 of 20



# Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is	
The designation and address of the Second Appellate Authority is	
(1) Filling an appeal	

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or Prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely: -

- (a) Determination
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.
- (5) Form of Appeal
- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every may be presented to First Appellate Authorit Signature valid, as the case may be, in person or through registered post or Difficulty digner by the

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundateason: Approved

Badhal

Page 9 of 20

- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) Procedure for disposal of appeal
- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall, -
  - (i) hear all the parites to appeal present before him; and
  - (ii) persue or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature yalid

Digitally signed by Bhay Chand Badhal

Designation

Date: 2025.03.24 Reason: Approved 1:21:34 IST

Page 10 of 20

#### [See rule 83] Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 Appeal No. .....of..... Before the.....(First/Second Appellate Authority) 1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against And name and designation of the officer/authority

Statement of a decision, action or omission of

The procuring Entity in contravention to the provisions

Of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant Proposes to be representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with appeal:

6. Ground of appeal: .....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

Place.....

Appellant's Signature

Signature yalid

Digitally signed by Phad Chand

Designation

Date: 2025.03.84 Reason: Approved

Page 11 of 20



## Annexure D: Additional Conditions of Contract

#### 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii.if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

#### 2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- by placing a repeat order on the rates and conditions the original order. However the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods or original contract and shall be within one month from the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be shall be balance Reason: Approved

Page 12 of 20

supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

#### 3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature yalid

Digitally signed by Phay Chand

Designation Secretary Date: 2025.03.24 Reason: Approved

Page 13 of 20

फर्म का नाम :		
	(कंपनी के लैटर हैड पर प्रस्तुत किया जावे)	

सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर

## वित्तीय निविदा का दर प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या ..... के क्रम में हमारी दरें निम्नानुसार हैं:--

1. वार्षिक अनुबंध के तहत किया जाने वाला कार्य :--

क्र. सं.	विवरण	Serivce Rate per Month	GST	Total RS. per Month
7	बोर्ड कार्यालय में सैनेट्री / कारपेन्टर / विद्युत संबंधी सेवायें देने के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए AMC) किये जाने हेतु।			
	कुल राशि (अंक कुल राशि (अंक			

### 2. मरम्मत/संघारण हेतु वांछित स्थाई/अस्थाई प्रकृति की सामग्री :--

Sr. N	o. Name of Parts/Service	Rate Per Inch/Piece/ Feet/ Ltr.	Rate (Inclusive all taxes with GST)
1.	2 Pin		
2.	3 Pin Top		
3.	3/4 PIPE		
4.	Agal Kundi		
5.	Aldrop		
6.	Aluminium channel	Signat	Ure valid
7.	Angle Wall	Digitally signe	d by Bha Chan
8.	Ball	Badhal Designation	Segretary
		Designation Date: 2025.03. Reason: Appro	24 1:21:34 IST

Page 14 of 20

1	Band					
9.	Popul					
10			+			
11	Bearings		-			
12.	Belt			•		
	Blade					
13.						
14.	Blade Holder					
15.	Blower Motor Winding					
16.	Brass MABT	,				7
17.	Bulb 15 Watt		_			
18.	Bush Plate	,				
	C PVC 1/1/4					
19.	Capacitor					
20.						
21.	Casing Patti					
22.	Channel					
23.	Choke 12w					
24.	Choke 18w		•	-		
25.	Choke 36w					
26.	Clip					
27.	Condenser Fan		d			
28.	Condenser cooler					
29.	Cooler Frame					
30.	Cooler Grass Ped					
31.	Cooler Honey Ped					7
32.	Cooler Pad		1.7			
33.	Cooler Pump		100 To 1			
34.	Cooler Regulator			0:		
35.	Cooler Wings	2 1 20 1		Signa	ature y	<b>a</b> lid
36.	CP Nipple			Daunai		1
37.	CP Null			Designation Date: 202	n Secretary 5.03.84 1:21 pproved	1:34 IST

Page 15 of 20

38.	CPVC Pipe 1	
39.	Colour Paint	
40.	Data	
41.	Door Chitakani	
	Door Latch (Kunda)	
42.	Door Closer	
43.		
44.	Door Handle	
45.	Door Lock	
46.	Door Stopper	
47.	Drawer Channel	
48.	Ducting Canvas	
49.	Ducting Motor	
50.	Ducting Paid	
51.	Door Lock	
52.	Elbow 1 "	
53.	Elbow GI	
54.	FABT 1"	
55.	Fan Regulator	
56.	Fevicoal Per Gram	
57.	Flange GI	
	Floor drain Grating (Jali) Round	
58.	Shape (Rate Per inch)	
	Floor drain Grating (Jali) Suare	
	Shape (Rate Per inch)	
59.	Shape (nate ver men)	
60.	Flush Plate	
61.	Flushing Systan	
62.	Foot Value Set	Signature yalid
63.	Football Set	Digitally signed by Phag Chand
64.	G I Nipple 1/1/4	Badhal   A / I
65.	Getty	Designation . Secretary Date: 2025.03.24 21:21:34 IST Reason: Approved
The state of the state of		

Page **16** of **20** 

	1	No. of the last of	Glass Door & Windo		1	1			
	11-	66.	Godrej Lock					T	
1	1	67.	Greece					-	
1		68.						-	
		69.	Health Faucet		-				
		70.	Hings		+				
		71.	Holder		+				
		72.	Hub		+				
		73.	Iron & Wood Chair Repa	air	+				
	7	74.	L Blade/Patti		+				
	7	5.	Led 18W 4 Pin		+				
	7(	6. I	Led 20w		_				
	77	7. L	ed 30w		1				
	78	L.	ed 50w			1 1			
	79.	. Le	ed Blub 30 W						
	80.	Le	d Flud Light 100W						
	81.	Le	d light					,	
	82.	Led	d Panel 36 W 2*2						
	83.	Led	Vance Ballast 36w						
L	84.	-	dular Sheet All Type						
	85.	M Se	eal						
	86.	MAB	T 1"			. 62			
	87.	МСВ	(32amp)						
	88.	МСВ	Вох						
	89.	МСВ В	Box (63amp)						
	90.	Model	ling Cheap						
	91.	Modula	nr Box			Cian	4		:
	92.		Vinding Cooler			Signa	ature	ya	IU
	93.		Vinding Celling Fan			—Digitally-si Badhal Designation	gned by I	anag-Ch	and
	94.	Motor W	inding Exhust Fan			Designation Date: 2025 Reason: A	5.03.84 Z	:21:34	ST
					1		PIOTOU	The market has	

Page 17 of 20

		Motor Windia					
/	95.	Motor Winding Fa	rata Fan				
	96.	Nozzle GI					
1	97.	Nut Bolt		-			
1 -		Oil					
	98.	OS D.				-	
	99.	OS Ram DD/E 18w				-	-
	100.	Piston Rod					_
	101.	Dilini					
		PL Light					
:	102.	PL Light 36w		-			
1	.03.						
		PL Tubelight 36w					
10	04.	Ply					
10	15	17					
	.   P	ole MCB (63amp)					
100	6. P	VC Box (12x10)					1
107							
107	·   P\	/C Box (5x3)					
108.	PV	C Box(9x3)					
109.	Pvc	connection pipe					
110.	PVC	Pipe					
				•		-	
111.	Pain	t Brush	Sec				
112.	Razm	al Per Mtr.					
					7		
113.	Rotate	or/Gear Box					
114.	Rotor						
			1 7 2				
115.	Sadel						
116.	Sanitary	т					
						4	
117.	Screw			Sig	ınature	yalid	
118.	Shaft				ly signed by	(83887)	
115				Badha ——Design	nation Spore	any	
119.	Silicone se	ealant		Date: 2	nation Secre 2025.03.24 n: Approved	1:21:34 IST	
V. P. C.		Page	10 -6 20	1100501	i. Approved		

Page 18 of 20

	Sink coupler and ja	ali
	Soap Stand	
	Socket (16amp)	
12	3. Socket (6amp)	
124		
125		
126		
127.	Solwent 115 ML	
	Spin Set	
128.	Spindle	
129.	Stand Assembling	
130.	Stator Table	
131.	Stator Winding	
132.	Stikar	
133.		
134.	Switch (16amp)	
	Switch (6amp)	
135.	Switch Plate	
136.	Syphon Set	
137.	Тар	
138.	Таре	
139.	Tape Nal	
140.	Tarpin	
141.	Toilet Paper Stand	Signature yalid
142.	Towel Ring	
143.	Towel Stand	Digitally signed by Bhag Chand Badhal Designation Segretary Date: 2025.03.24 1:21:34 IST Reason: Approved

Page 19 of 20

144.	Tube light 36w	-
145.	Tube light Led	
146.	Union	
147.	Wall Coke	
148.	Wall Fan Wings	1
149. F	Waste Pipe	
150.	Wire (1.5mm) per feet	
151.	Wire (1mm) per feet	y 7
152. T	Wire (2.5mm) per feet	
153.	Wire (2mm) per feet	
154.	Window Glass	

नोट:- उक्तानुसार बिन्दु स. 01 के तहत सैनेट्री / कारपेन्टर / विद्युत संबंधी सेवायें रखरखाव एवं मरम्मत के लिए वार्षिक अनुबंध में किये जाने वाले कार्य का भुगतान अनुपातिक रूप से मासिक किया जावेगा एवं बिन्दु संख्या 02 (सामान, कलपूर्जे गैस इत्यादि का व्यय) का भूगतान आवश्यकतानुसार पार्टस / गैस / कलपूर्जें लगाये जाने की स्थिति में ही अनुमोदित दर से किया जावेगा। अनुमोदित दर के अतिरिक्त अन्य पार्टस की आवश्यकता पढ़नें पर न्युनतम बाजार दर पर भगतान किया जावेगा।

> हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

Signature yalid

Digitally signed by Bhay Chand Badhal Chand

Designation Secretary
Date: 2025.03.24 1:21:34 IST
Reason: Approved

Page 20 of 20

